

1. सभी वर्ग के छात्र छात्रों हेतु AICTE यशस्वी

छात्रवृत्ति योजना

<https://yashasvi.aicte.gov.in/>

- a. डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया होना चाहिए।
- b. छात्रवृत्ति की राशि रु. 30,000/- प्रति वर्ष अध्ययन के प्रत्येक वर्ष के लिए अर्थात् प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए अधिकतम 3 वर्ष
- c. चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

सरकार द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

चयन के मानदंड: 10वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की मेरिट के आधार पर।

आरक्षण: भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार।

2. सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए AICTE प्रगति छात्रवृत्ति योजना

<https://scholarships.gov.in/>

a. बालिका अभ्यर्थी को डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाना चाहिए।

- b. छात्रवृत्ति की राशि रु. 50,000/- प्रति वर्ष
अध्ययन के प्रत्येक वर्ष के लिए अर्थात् प्रथम
वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए अधिकतम
3 वर्ष
- c. प्रति परिवार अधिकतम दो बालिकाएं पात्र हैं
- d. चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से
पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से
अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
सरकार द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र संलग्न
करना होगा।

चयन के मानदंड: 10वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत
की मेरिट के आधार पर।

आरक्षण: भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार।

3. सभी वर्ग के छात्र छात्रों हेतु AICTE सक्षम छात्रवृत्ति योजना (विशेष रूप से सक्षम छात्रों के लिए)

<https://scholarships.gov.in/>

- a. डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया होना चाहिए।
- b. विशेष रूप से सक्षम छात्र, जिनकी विकलांगता 40% से कम न हो। मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट अनिवार्य
- c. छात्रवृत्ति की राशि रु. 50,000/- प्रति वर्ष अध्ययन के प्रत्येक वर्ष के लिए अर्थात प्रथम

वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए अधिकतम
3 वर्ष

d. चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से
पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से
अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
सरकार द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र संलग्न
करना होगा।

4. सभी वर्ग के छात्र छात्रों हेतु AICTE SWANATH
छात्रवृत्ति योजना

<https://scholarships.gov.in/>

e. डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया होना चाहिए।

f. अनाथ, माता-पिता में से किसी एक या दोनों की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई हो, सशस्त्र बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वार्ड जो कार्रवाई में शहीद हुए हों (शहीद)

g. छात्रवृत्ति की राशि रु. 50,000/- प्रति वर्ष अध्ययन के प्रत्येक वर्ष के लिए अर्थात् प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए अधिकतम 3 वर्ष

h. चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

**सरकार द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र संलग्न
करना होगा।**